न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/354
दायरा तिथि : 01.07.2025
आदेश तिथि : 11-02-26

प्रार्थी :–

सतीश कुमार पुत्र मोतीलाल देवासी निवासी बेडा तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. अचलाराम पुत्र वजाराम जाति मेघवाल निवासी अचपुरा तहसील पिण्डवाडा
2. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) बाली

उपस्थितिः–

श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा........................अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी अनुपस्थित।
नायब तहसीलदार............................ पेरोकार सरकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 11-02-26

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 3748 रकबा 0.88 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 3731 रकबा 0.52 हैक्टर व राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 3741 रकबा 2.26 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(I) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख नाना को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2026/204 दिनांक 22.01.2026 की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान खसरा नंबर 3707 मार्ग तक आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से रास्ता उपलब्ध नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सड़क अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है। इससे कम दूरी कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।
3. यह है कि ग्राम भंदर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	3741	2.26 हैक्टर	बारानी दोयम	548X09=4932 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	3731	0.52 हैक्टर	बारानी दोयम	50X09=450 वर्गमीटर	अचलाराम पुत्र वजाराम मेघवाल सा. अचपुरा तह. पिण्डवाडा खातेदार

4. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम भंदर की डी.एल.सी. दर 2,10,800/– प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण / वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में आदिनांक तक वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील प्रार्थी व राज पैरोकार की बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर एवं पदेन लगातार.........02
उपखण्ड अधिकारी,बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025 / 354

अनवान सतीश कुमार बनाम तहसीलदार बाली वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 3748 रकबा 0.88 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(62) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 3748 रकबा 0.88 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 3731 रकबा 0.52 हैक्टर व राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम भंदर पटवार हल्का भंदर तहसील बाली के खसरा नंबर 3751 रकबा 2.26 हैक्टर में से **4932+450=5382** **वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।** राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावें। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 210800/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
37[illegible]1	2.26 हैक्टर	548X09=4932 वर्गमीटर	22	108504X2=217008	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
3731	0.52 हैक्टर	50X09=450 वर्गमीटर	22	9900X2=19800	अचलाराम पुत्र वजाराम मेघवाल सा. अचपुरा तह. पिण्डवाड़ा खातेदार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 236808/– (अक्षरे दो लाख छत्तीस हजार आठ सौ आठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मोहर: न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.))

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक : 11-02-26

क्रमॉक/कोर्ट/2026/218 – 222

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, भंदर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक सतीश कुमार पुत्र मोतीलाल देवासी निवासी बेडा तहसील बाली को सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner

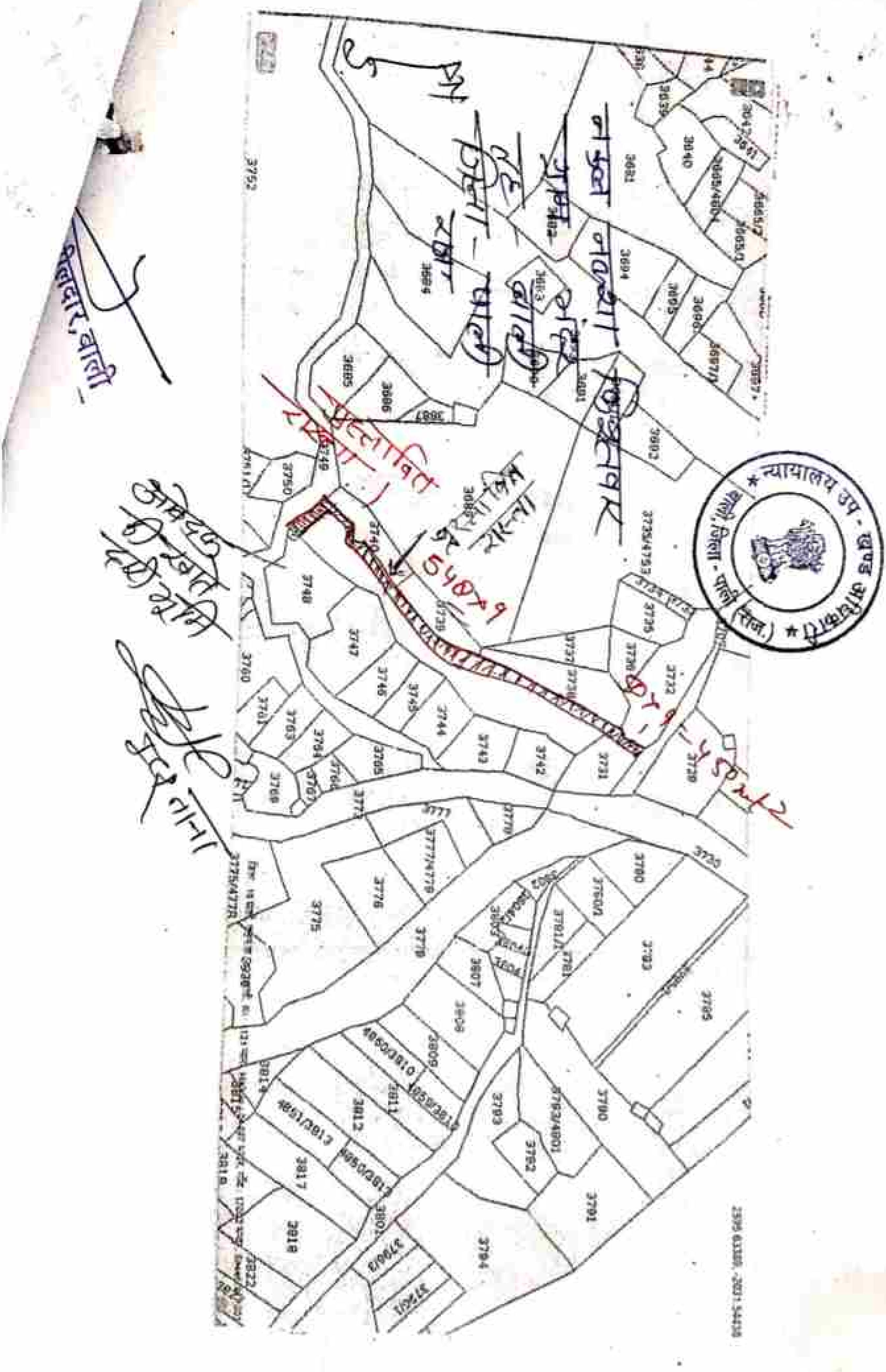

Scanned with OKEN Scanner